

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-446 / ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(1<sup>७३</sup>)-2020

लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल, 2020

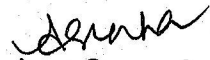
शुद्धि-पत्र

दिनांक 22 जनवरी, 2019 के उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट में हिन्दी तथा अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-177 / ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(03)-2019 दिनांक: 22 जनवरी, 2019 के,-

(क) हिन्दी पाठ में, प्रथम परन्तुक में, प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द "केन्द्रीय कर" के स्थान पर शब्द "राज्य कर" पढ़ा जाय ,

(ख) अंग्रेजी पाठ में प्रथम परन्तुक में, प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द "central tax" के स्थान पर शब्द "state tax" पढ़ा जाय ।

आज्ञा से,

  
( आलोक सिन्हा )  
अपर मुख्य सचिव।